

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, नरेगा)



क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./2010

जयपुर, दिनांक:


जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषय: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत ग्राम
रोजगार सहायक के अनुबन्ध के संबंध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
योजनान्तर्गत जिन ग्राम पंचायतों में अप्रैल 2009 से फरवरी 2010 तक एक भी श्रमिक
नियोजित नहीं किया गया है, वहां पर ग्राम रोजगार सहायक के साथ अनुबन्ध नहीं किया
जावे। यदि अनुबन्ध आवश्यक हो तो इस संबंध में राज्य स्तर को प्रकरण पूर्ण औचित्य के
साथ प्रस्तुत किया जावे।

भवदीय,


(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि:- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला
परिषद, समस्त राजस्थान।



परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, ईजीएस